(10)

राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2019 जयपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2020

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/6292 दिनांक 27.12.2019, एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/52 दिनांक 01.01.2020 एवं 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/424 दिनांक 09.01.2020 द्वारा घोषित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 तीन चरणों में दिनांक 17.01.2020 (शुक्रवार), 22.01.2020 (बुधवार), एवं 29.01.2020 (बुधवार) को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त आम चुनाव दिनांक 17.01.2020 (शुक्रवार), 22.01.2020 (बुधवार), एवं 29.01.2020 (बुधवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकी उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शरद मेहरा)
निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/575 दिनांकः 13/1/20

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13.1.2020
(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव